

प्रपत्र-3

[विनियामक 10 (1) देखें]

वितरण लाइसेंस (नये मामले) के लिए आवेदन की सूचना

इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उसने निम्नलिखित क्षेत्रों में विद्युत वितरण के लाइसेंस की मंजूरी के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 के प्रावधानों के तहत हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग, बीएवाईएस सं. 33-36, सेक्टर 4, पंचकुला, पिन-134112, हरियाणा के पास आवेदन किया है :

1. क्षेत्र का विवरण - गुडगांव नगर निगम

क. (जिला/तहसील/पंचायत समितियों, कस्बों एवं गांवों के नाम) (छोटे क्षेत्र के मामले में इसका विवरण पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण की सीमाओं द्वारा दें)।

सीमायें : उत्तर : दिल्ली

दक्षिण : मानेसर

पूर्व : फरिदाबाद

पश्चिम : झज्जर

2. आवेदन अपनी संलग्निकाओं के साथ उपरोक्त उल्लेखित पते पर आयोग के कार्यालय, विद्युत निरीक्षक के कार्यालय एवं नीचे दिए गए आवेदक के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा :

क. विद्युत निरीक्षक के कार्यालय का पता :

हरियाणा सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षक
एससीओ 85-86, सेक्टर-17-डी, चंडीगढ़
दूरभाष सं. 0172-2704090, फैक्स सं. 0172-2710171

ख. आवेदक के कार्यालय का पता :

अशोक कुमार गोस्वामी / प्रभाजीत सरकार
इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
प्लॉट सं. एक्स-1, 2 एवं 3, ब्लॉक-ईपी, सेक्टर-V, सॉल्ट लेक सिटी,
कोलकाता-700 091, पश्चिम बंगाल, भारत
दूरभाष : +91-033-6609 4300/08/09/10
फैक्स : +91-033-6609 4320, www.indiapower.com

3. आवेदन को उसकी संलग्निकाओं के साथ आयोग की वेबसाइट www.herc.gov.in एवं आवेदक की वेबसाइट www.indiapower.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

4. आवेदन की प्रतियों को उसकी संलग्निकाओं के साथ, रु. 200/- का नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान कर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा आयोग एवं आवेदक के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

5. आवेदन पर आपत्ति जतानेवाले कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति दस प्रतियों में भेज सकते हैं, जो इस सूचना के प्रकाशन से तीस दिनों के भीतर आयोग के कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए तथा अपनी आपत्ति की एक प्रति आवेदक को भी भेजें। आपत्तिकर्ता को अपने नाम एवं पता तथा अपनी आपत्ति के आधार का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए।

6. आपत्तिकर्ता को स्पष्ट रूप से यह भी उल्लेख करना चाहिए कि यदि आयोग आपत्तिकर्ताओं को सुनवायी करने का निर्णय लेता है तो क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुनवायी कराना पसंद करेंगे।

कृते, **इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

अशोक कुमार गोस्वामी

प्रेसिडेंट - न्यू इनिशिएटिव्स

H-15 x W-8 cm